

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -138/2023 निगरानी

1. ग्राम पंचायत उमा जी का खेड़ा, बनाम
पंचायत समिति बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा जरिए
सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत उमा जी का खेड़ा,
पंचायत समिति बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा

-निगराकार

प्रकरण संख्या -184/2023 निगरानी

1. शिवलाल पिता मोहनलाल धाकडबनाम
निवासी फतेहपुर तहसील बिजौलिया

-निगराकार

1. जयंत कुमार पुत्र महावीर प्रसाद राव
निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

-गैर निगराकार

1. जयंत कुमार पुत्र महावीर प्रसाद
राव निवासी बिजौलिया जिला
भीलवाड़ा

2. सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत
उमाजी का खेड़ा पंचायत समिति
बिजौलिया तहसील बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा

-गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पत्रावली
संख्या 93 सभ्वत 2044 दिनांक 15.05.1987 तत्कालीन सरपंच/सचिव ग्राम
पंचायत उमा जी का खेड़ा पंचायत समिति माण्डलगढ

उपरिथत -

1. श्री गणेश जोशी अधिवक्ता एवं श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता - निगराकार की ओर से
2. श्री ओमप्रकाश नायक अधिवक्ता - गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से



निर्णय

दिनांक 13.11.2025

प्रकरण में आदेशिका दिनांक 01.05.2025 से उक्त दोनो प्रकरणों में एक पट्टे बाबत दो अलग अलग उनवान से निगरानी पेश होने से उक्त दोनों प्रकरणों को क्लब किया गया। उक्त दोनों प्रकरणों में एक साथ सुनवायी की जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

निगराकार की ओर से निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं पंचायत राज अधिनियम 1953 की धारा 27ए एवं पंचायत सामान्य

Dr
13.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

सं. 93 सम्बत 2044 तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत उमा जी का खेडा पंचायत समिति
माण्डलगढ जिला भीलवाडा का पट्टा को अपास्त फरमाये जाने का आदेश फरमाये।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर
निगराकार को वास्तविकता में जो पट्टा वर्ष 1988 में जारी किया गया वह तत्कालीन ग्राम
पंचायत उमा जी का खेडा की ओर से नियमों के अनुकूल जारी किया गया। निगराकार ने
उक्त निगरानी 36 वर्ष पश्चात् पेश की है जो बिना किसी ठोस कारणों से मियाद बाहर होने
से निगरानी खारिज योग्य ठहरती हैं। निगराकार को उक्त निगरानी पेश करने की कोई
लोकस स्टैण्डाई नहीं है। गैर निगराकार को पट्टा जारी करते समय, उस समय के नियमों
का पूर्णरूपेण पालना की गयी। निवेदन है कि निगराकार का निगरानी खारिज फरमाया
जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का
ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने वर्ष 1988 में
जारीशुदा पट्टे को निरस्त कराने बाबत् लगभग 35 वर्ष बाद निगरानी बिना किसी ठोस
कारण के प्रस्तुत की है, जो मियाद बाधित ठहरती हैं। कब्जे के संबंध में निगराकार द्वारा
कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नहीं किये गये। निगराकार स्वयं ने अपनी निगरानी मेमों में
अंकित किया कि "उक्त प्रश्नगत पट्टे के संबंध में कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में नहीं है एवं
न ही कोई रिकार्ड संधारित किया गया है।" ऐसे में मिसल पत्रावली अथवा मिसल पत्रावली
की सत्यापित प्रति के अभाव में पट्टे की वैधता / अवैधता के संबंध में तथा प्रश्नगत पट्टे
का पंजीयन हो जाने से उक्त पट्टे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय किया जाना
न्यायोचित नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से
अस्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव-

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज
अधिनियम के तहत आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति
ग्राम पंचायत उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद
हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भीलवाडा